माननीय सदस्य राजस्व मंडल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -II /2017

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3443

टीकाराम शर्मा पुत्र स्व. परमानंद शर्मा निवासी - ग्राम खोपरा, तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

.........निगरानीकर्ता

बनाम

1.- बाबूलाल पुत्र स्व. परमानन्द आयु- 62 वर्ष, जाती ब्राह्मण, निवासी - ग्राम खोपरा, तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

2.- शिवकांत शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा

3.- सरजूबाई पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी - ग्राम खोपरा, तहसील मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

4.- गीताबाई पत्नी श्री राकेश शर्मा पुत्री स्व. बाबूलाल शर्मा, निवासी सिरोंज, जिला – विदिशा (म.प्र.)

5. आशाबाई पत्नी गिर्राजशंकर पुत्री श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी – ग्राम – बलरामपुर लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र)

C.F. 25/9/17

6. अनीता पत्नी चन्द्रमोहन पुत्री बाबूलाल निवासी – ग्राम पिपरिया – मल्हारगड, तहसील - मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

.........प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरुद्ध माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील – मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ 27/16-17 (बाबूलाल बनाम शिवकांत) में पारित आदेश दिनांक 11/08/17

माननीय महोदय,

श्रीमान के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है

प्रकरण के तथ्य :-

1. यहकि, उक्त निगरानी में प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन संयुक्त हिन्दू कुटुंब की भूमि स्थित ग्राम खोपरा,पटवारी हल्का न. 25 परगना मुंगावली, जिला अशोकनगर सर्वे क्रमांक 150/3 रकवा 2.445 हेक्टेयर एवं ग्राम बर्री प. ह. न. 25 सर्वे क्रमांक 100/2 रकवा 2.822 हेक्टेयर का अंतर्गत धारा 178 (क) म.प्र. भू.रा.स. 1959 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

2. यहकि, उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा यह दर्शाया गया है कि आवेदक व् अनावेदक अपने हिस्से अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर फसल का लाभ लेते चले आ रहे हैं इस कारण मौके के कब्जे अनुसार एवं वाहमी विभाजन के आधार पर बंटवारा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है

3. यहकि, उक्त आवेदन पत्र माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील – मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ 27/16-17 पर दर्ज किया गया

4. यहकि, उक्त प्रकरण कि सूचना प्राप्त होते ही निगरानीकर्ता ने उक्त प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की कि "वास्तविक रूप से उक्त विवादित भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3443

टीकाराम शर्मा विरूद्ध बाबूलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-27/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11/08/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	